न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीशसिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 215/2022

वादी बनाम	**प्रतिवादीगण**
तुलछाराम पुत्र अमला जाति ढाढी निवासी सारणों का तला, होडू तहसील सिणधरी	1. अबा पुत्र अमला 2. दीपा पुत्र खींया 3. भेरा पुत्र खींया जाति ढाढी निवासी सारणों का तला, होडू तहसील सिणधरी 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री बींजाराम गोदारा वकील प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी 1 से 3 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 4 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 12.11.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने पेश किया है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 2010/898 रकबा 11.4878 हैक्टेयर मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2010/898 रकबा 11.4878 हैक्टेयर मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 3 4 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी [illegible] है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली [illegible] है [illegible] राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग–अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्से [illegible] के प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप [illegible] बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि [illegible] झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थी के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बटवाडा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलागी भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि-भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नही है. क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है प्रार्थी को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है,कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खसरा संख्या 2010/898 रकबा 11.4878 हैक्टेयर मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्राथर्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अच्यापी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्राथीगण के विरुद्ध जारी की जावे।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 2010/898 रकबा 11.4878 हैक्टेयर मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र होडू तहसी[illegible] उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण [illegible] 3 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों क[illegible] के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता [illegible] भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंख[illegible] पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है के सन्दर्भ में ऐसा कोई बेदखली अथवा निर्माण से संबंधी साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

है, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि विप्रार्थी द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्रार्थी स्वंय द्वारा भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत बंटवाड़े को प्रश्न है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा ? ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:38:42 IST
Reason: SelfAttested